

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में  
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट

पत्र व्यवहार हेतु पता :-  
सम्पादक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट  
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर-208014

वर्ष -38 • अंक -9 • कानपुर 1 से 15 मई 2016 • प्रधान सम्पादक - डा० एम० एच० इदरीसी • वार्षिक मूल्य - ₹100

## इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पूर्ण मान्यता के लिए

मुख्य मंत्री से करेंगे बात - डा० कुशवाहा कैबिनेट मंत्री उ०प्र०

इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया है अब प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अधिकार पूर्वक कार्य करना चाहिये, लेकिन अभी पूर्ण मान्यता मिलनी बाकी है, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण मान्यता के लिए बात करूँगा, यह विचार गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल अमीनाबाद लखनऊ में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के 42 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डा० राम आसरे कुशवाहा कैबिनेट मंत्री-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यक्त किये गये।

डा० कुशवाहा ने कहा आप लोगों के मध्य आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० ने कार्य करते हुए 42 वें वर्ष में प्रवेश किया इसके लिए बोर्ड के चेयरमैन बघाई के पात्र हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है इसका विकास होना चाहिये सरकार ने अभी परमीशन दी है, सरकार के अधिकारियों ने काम करने के लिए लगातार आदेश जारी किये हैं और करते जा रहे हैं लेकिन इस पद्धति को पूर्ण मान्यता मिलनी ही चाहिये मैं एक जनसेवक हूँ और बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० भी जनहित के लिए कार्य कर रहा है ऐसी संस्थाओं का समर्थन और सहयोग करने में मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक पूरी जिम्मेदारी के साथ जन स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं इसलिए इनके कार्य को और आगे बढ़ना चाहिये विनोदी अंदाज में डा० कुशवाहा ने कहा वैसे तो मैं भी डाक्टर हूँ और सेवा भी करता हूँ परन्तु आप जैसा डाक्टर नहीं हूँ। आप रोग मुक्त करके रोगी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और मैं छात्रों को अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य के निर्माण की राह प्रशस्त करता हूँ, आज के इस कार्यक्रम की सराहना करता हूँ और आपको मरोसा दिलाता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित

में जो कुछ भी होगा मैं अवश्य करूँगा। कार्यक्रम का प्रारम्भ पूर्वान्ह 11-45 बजे मैटी के चित्र पर माल्यापर्ण से हुआ तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों सर्वश्री डा० एम०एच०इदरीसी (चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०), डा० रमेश दीक्षित (समाज सेवी व पूर्व पी०फं सर लखनऊ विश्व विद्यालय), डा० ए०पी० मौर्या

(कोलकाता), डा० एस० के० विश्वास (मिदनापुर, पश्चिम बंगाल), डा० राम आसरे कुशवाहा (कैबिनेट मंत्री उ०प्र० सरकार), डा०

० रवीन्द्र कुमार वर्मा (छत्तीसगढ़), डा० इदरीस खान (दिल्ली) व डा० आर० के० कपूर (लखनऊ) कार्यक्रममाध्यक का सम्मान बैज लगाकर व बुके देकर किया गया। बैज डा० आशुतोष कपूर व बुके डा० शिवकुमार पाल ने भेंट किये, कार्यक्रम के स्वागतमाध्यक डा० एम०एच०इदरीसी ने प्रगति आस्था पढ़ते हुए बताया कि किस तरह से कार्य करते हुए लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। डा० इदरीसी ने बताया कि आज बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० शासकीय आदेशों से परिपूर्ण है, प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है, चिकित्सकों को चाहिये कि वे अधिकारपूर्वक प्रैक्टिस करने के लिए अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन करें, पंजीयन का आवेदन करना अनिवार्य है, जो चिकित्सक ऐसा नहीं करते हैं वे न केवल विधि विरुद्ध कार्य करते हैं बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना भी करते हैं, अस्तु नियमों का पालन करें और विधि सम्मत ढंग से प्रैक्टिस करें, डा० इदरीसी के उद्बोधन के बाद बोर्ड के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने घोषणा की कि वर्ष 2014 से वर्ष 2016 के मध्य जिन विद्यालयों ने छात्र संख्या के

माध्यम से अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार में एक शॉल, सम्मान पत्र के साथ अच्छे कार्य हेतु प्रमाण पत्र व उत्साह वर्धन हेतु उचित राशि की चेकें प्रदान की गयीं, पुरस्कृत विद्यालयों के चयन के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था इस समिति में

### इलकियाँ

- कार्यक्रम 11 के बजाये 11-45 पर प्रारम्भ हुआ
- मैटी जी को माल्यापर्ण 12 बजे किया गया
- मंत्री जी पूरे मूड में थे बोले 6 बार मंत्री बन चुका हूँ इसपर कार्यक्रम संचालक ने बताया कि आप हमारे मंच पर 5 बार आ चुके हैं

डा० एम०एच०इदरीसी, डा० अतीक अहमद व डा० मिथलेश कुमार मिश्रा थे, समिति ने अपने निर्णयानुसार प्रथम पुरस्कार के लिए रायबरेली के डा० पी०एन० कुशवाहा, द्वितीय पुरस्कार के लिए डा० आर०के० शर्मा लखीमपुर, व तृतीय स्थान के लिए डा० मुस्ताक अहमद आजमगढ़ के नाम का चयन किया, साथ ही कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि जो पुरस्कार पाने में सफल नहीं हुए ऐसे संस्थानों और अध्ययन केन्द्रों के संचालकों को भी सम्मानित किया जाये तथा ऐसे साथी जिनमें ऊर्जा तो है परन्तु अपनी ऊर्जा का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों से बोर्ड को अपेक्षा है इसलिए इनका भी सम्मान किया जाये इसी के साथ एक और निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन के नायक व गजट के सम्पादन में सहयोग करने के लिए डा० प्रमोद शंकर बाजपेयी को भी सम्मानित किया जाये, इसके बाद दिल्ली से पधारे डा० इदरीस खान ने बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर एक घन्टे 12 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनायी है जिसका प्रस्तावित शीर्षक है A Saga of Electro Homoeopathy इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीमियर आगामी 04 सितम्बर, 2016 को दिल्ली में होगा। इस कार्यक्रम में कई

केन्द्रीय मंत्रियों सहित दिल्ली के मुख्य मंत्री के आने की सम्भावना है। डा० खान ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास व सरकारी आदेशों व वैधानिक स्थिति की वास्तविक जानकारी देने का प्रयास किया है, आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आवाहन करता हूँ कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होंगे। हु ए अधिकारपूर्वक कार्य करें, डा० खान के उद्बोधन के बाद सम्मान व पुरस्कार वितरण



तो वहीं पर उनके विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दें यह आन्दोलन का सिलसिला तब-तक चलना चाहिये जब-तक कि पूर्ण सफलता न मिल जाये। पुराने दिनों की याद करते हुए नीरन ने बताया कि किस तरह से वह अपने साथियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन की रूपरेखा बनाया करते थे और फिर डा० इदरीसी से मिलकर उस आन्दोलन को वास्तविक स्वरूप प्रदान करते थे। लखनऊ के चिकित्सक अखिलेश पटेल ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि अब दर्द हर्दें पार कर चुका है इसका इलाज हो ही जाना चाहिये, झांसी से पधारे डा० टी० चन्द्रा ने कहा कि इस मंच में स्थान एवं सम्मान पाकर बहुत गदगद हूँ, मैं आज अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पाँव ठीक से टिक नहीं रहे हैं कारण जिस मंच पर गुरु हैं उसी मंच पर शिष्य और यह बातें सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मंचों पर ही हो सकती हैं मैं डा० इदरीसी का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया, मेरा सम्मान किया मैं उनका धिरऋणी रहूँगा तथा विश्वास दिलाता हूँ कि अजन्म डा० इदरीसी के बताये रास्ते पर चलने का प्रयास करूँगा। फिरोजाबाद से पधारे डा० शिवकुमार पाल ने कहा कि पंजीयन का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है सभी चिकित्सकों को चाहिये कि वह बिना भय के पंजीयन का आवेदन चिकित्साधिकारी को प्रेषित

शेष अंतिम पेज पर

## स्थापना से तात्पर्य

स्थापना चाहे किसी समाज की हो या किसी चिकित्सा पद्धति की या किसी संगठन की उसका अपना एक अलग महत्व होता है और यही महत्व धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की स्थापना 24 अप्रैल, 1975 को कानपुर में जिन परिस्थितियों में और जिन उद्देश्यों को लेकर की गयी थी आज वह अपनी सार्थकता स्वयं सिद्ध कर रही है सन् 1975 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा व्यवस्थित ढंग से नहीं थी, कहीं गुरु शिष्य परम्परा तो कई सामान्य अध्ययन की व्यवस्था थी और कहीं-कहीं तो सिर्फ परीक्षा के माध्यम से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा स्वीकार कर ली जाती थी इन्हीं सब बिन्दुओं पर चिन्तन के बाद व भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस संगठन की स्थापना की गयी थी। जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तभी इसके कर्ता-धर्ताओं के मन में यह बात थी कि यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास करना है और प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों से प्रतिस्पर्धा रखनी है तो हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा चूंकि एक शिक्षित चिकित्सक ही अपनी पूरी योग्यता के साथ ही चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है।

अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है अगर हम उतना सबकुछ नहीं पढ़ा सकते हैं तो इतना भी कम नहीं होना चाहिये कि हमारा चिकित्सक उनसे मुकाबला न कर सके समाज में टिके रहने के लिए यह आवश्यक होता है कि योग्यता में कोई कमी न रहने पावे कारण चिकित्सा शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से होता है। एक गलत निर्णय मनुष्य के प्राणों पर समस्या खड़ी कर देता है ऐसा नहीं है कि शिक्षित मनुष्य से गलतियां नहीं होती हैं लेकिन यह भी सत्य है कि शिक्षित व्यक्ति जानबूझ कर न तो गलत कदम उठाता है और न ही कोई ऐसा निर्णय लेता है जिससे कि किसी का जीवन संकट में पड़ जाये।

इसलिए उचित शिक्षण व्यवस्था की महत्ता को हम नकार नहीं सकते हैं आजादी के 69 वर्षों के बाद भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षण व्यवस्था में एकरूपता नहीं आ पायी है अभी भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य करते हुए बहुत अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं आज मले ही उन्हें यह कार्य करते हुए अच्छा लग रहा हो लेकिन इसके परिणाम दीर्घ जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं स्थापना के 42 वर्ष में आते ही बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० ने यह संकल्प लिया है कि बोर्ड अपनी शिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। आज उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा है चिकित्सकों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन का, वैसे तो बोर्ड की तरफ से इस विषय पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए चिकित्सा महानिदेशक द्वारा 4 जनवरी, 2012 के आदेश का अनुपालन करने हेतु समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को 14 मार्च, 2016 को स्पष्ट निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं, अब दायित्व है हर चिकित्सक का कि वह अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हुए अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी को अवश्य करे हर चिकित्सक को अपने मन से एक बात निकाल देनी चाहिये कि मुख्य चिकित्साधिकारी उनके आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा। आवेदन लेना उसकी जिम्मेदारी है और आवेदन भेजना चिकित्सक की आवश्यकता है।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि प्रदेश में जो चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करेगा उसे अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेषित करना है अब हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने दायित्वों से मुहं न मोंड़ें और न ही इस विषय पर कोई सवाल खड़ा करें।

यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तभी हमारी स्थापना के उद्देश्य पूरे होंगे और एक नई दिशा निर्मित होगी।

## उत्तर प्रदेश ही विकास की राह

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी निरन्तर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है जिस गति से प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो रहा है उससे अब यह आशा बनने लगी है कि वह दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश ही वह पहला राज्य होगा जहां से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राजकीय मान्यता प्रदान की जायेगी, हमें यह कहते हुए अभिमान होता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की धारा पूर्व में उत्तर प्रदेश से बही थी और बहते-बहते लगी है वह धारा पूरे देश में प्रवाहित होने लगी थी जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत ज़्यादा पुष्टि और पल्लवित हुई। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास तो खूब हुआ लेकिन जो वास्तविक विकास होना चाहिये था वह अभी जहां का तहां पड़ा है, चिकित्सक खूब बने संस्थाएं खूब बनीं लोगों का खूब विकास हुआ, आन्दोलन भी बहुत सारे हुए, सरकार की नीतियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थान भी मिला, लेकिन जो सम्मान जनक स्थान मिलना चाहिये उसके लिए अभी भी हम सब प्रतीक्षारत हैं पहले तो ऐसा लगता था कि शायद सबकुछ समाप्त सा हो गया है, फिर एक समय वह आया जब समाप्ति से इलेक्ट्रो होम्योपैथी पुनर्जीवन की तरफ बढ़ी यह हम इन दोनों घटनाओं पर दृष्टि डालें तो दोनों ही घटनाओं को जन्म देने का पराक्रम हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथियों ने ही किया था। 25 नवम्बर, 2003 की जो घटना है वह अप्रत्याशित नहीं थी वह तो घटना घटनी ही थी, स्वरूप भले दूसरा होता, कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते अर्थात् किसी भी चीज की अधिकता लाभकारी नहीं होती है अत्याधिक हँसना भी रोने का कारण बनता है। 1980 से लेकर 1998 तक का कालखण्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी का स्वर्णिम कालखण्ड है, इन 18 वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने पूरे देश में अपनी पहचान बनायी, लेकिन संचालकों की मनमानी और अति स्वार्थी होने के कारण ही 2003 जैसी घटनाओं जन्म लेती हैं यद्यपि हर घटना अपने गर्भ में कुछ न कुछ अच्छाई छिपाये रहती है जिसका उदघटन बहुत देर बाद होता है, जैसाकि हम लिख रहे थे कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कहीं न कहीं हम स्वयं होते हैं। 18 नवम्बर, 1998 को एक जनहित याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अपने आदेश में कहा कि सभी राज्य सरकारें व केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाये, इस आदेश के विरुद्ध सरकार उच्चतम न्यायालय गयी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी 18 नवम्बर, 1998 के आदेश के लिए किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने कानून बनाना तो दूर इस आदेश का संज्ञान तक नहीं लिया, इसी मध्य हमारे कुछ उत्साही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की मांग बार-बार की, सरकार को अवसर मिला, बनाना तो उसे कानून था इन मान्यता की मांगों की आड़ लेते हुए केन्द्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और इस कमेटी से मान्यता की संस्तुति मांगी कमेटी में सम्मिलित

विद्वान और वैज्ञानिकों ने मान्यता के लिए वही मापदण्ड बनाये जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए हैं। यहां पर सरकार की दोहरी नीति सामने आती है एक तरफ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पाठ्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा में प्रतिबन्ध, वहीं दूसरी तरफ मान्यता के लिए जो मापदण्ड हैं वह डिग्री स्तर के। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस कसौटी में कसी गयी वैज्ञानिक स्तर पर और पद्धति के स्तर पर तो खरी उतरी लेकिन जब मान्यता की बात आयी तो कसौटी संदिग्ध हो गयी। 25 नवम्बर, 2003 को कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट का जिस तरह का प्रस्तुतीकरण किया गया उसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक अघोषित बन्दी की जैसी स्थिति आ गयी, हर तरफ एक अजीब सा सूनापन था, चिकित्सकों के मन में आक्रोश था, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व शब्दबाण चलाये जा रहे थे, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि परस्पर विश्वसनीयता का हास हुआ और इसने एक नई परिस्थिति को जन्म दे डाला। अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाये थे कि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश और आ गया इस आदेश ने तो पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नींव हिला डाली वैसे यह आदेश भी सम्मानीय था और इस आदेश से ही उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समकक्षता का अधिकार मिला है और कार्य करने के नये रास्तों ने भी जन्म लिया है, वैसे तो हमारा हर पाठक इस आदेश से परिचित है परन्तु एक बार हम फिर से इस आदेश के सम्बन्ध में आपसे चर्चा कर लेते हैं इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रदेश में जितनी भी चिकित्सकीय प्रमाणपत्र प्रदाता संस्थाएं हैं वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने परिषद में कराने के साथ-साथ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में भी पंजीयन के लिए आवेदन प्रेषित करेंगे। आवेदन प्रेषित करना हर चिकित्सक की नैतिक जिम्मेदारी है, मुख्य चिकित्साधिकारी पंजीयन संख्या जारी करता है या नहीं यह मुख्यचिकित्सा अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है इसलिए प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए जो वातावरण है और जो नियम बनाये गये हैं हर चिकित्सक को उनका पालन करना है, आज उत्तर प्रदेश लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में विकास की नई-नई राह खोल रहा है और जो लोग इस विकास के रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे उन्हें सफलता तलाशने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा जो लोग आज केन्द्रीय मान्यता की बात कर रहे हैं उन्हें मान्यता के बारे में संज्ञान लेना चाहिये और यह जानकारी कर लेनी चाहिये कि मान्यता कैसे मिलती है? धरनों और प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार पर दबाव तो डाला जा सकता है लेकिन दबाव के बाद भी सरकार मान्यता तभी देगी जब सरकार आपके कार्य से संतुष्ट होगी चिकित्सा एक ऐसा विषय होता है जिसपर आंख मूंद कर सका मुहर

नहीं लगायेगी। सरकार चिकित्सा के हर पहलू पर गम्भीरता से विचार करने बाद ही मान्यता जैसे विषय पर कोई निर्णय लेगी। वैसे तो सीधी-साधी बात तो यह है कि जब तक एक तिहाई राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नियमन नहीं हो जाता है या शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक मान्यता की बात सम्भव नहीं है, कार्य करते हुए जो प्राप्त अधिकार हैं उनका हम सबलोग अधिकारिता पूर्वक प्रयोग करें तभी मान्यता सम्भव है, खैर कुछ भी हो लेकिन मान्यता तो मिलनी ही है आज नहीं तो कल लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की जो धारा बहेगी वह धारा उत्तर प्रदेश से ही निकलेगी क्योंकि पहला शासनादेश उत्तर प्रदेश ने जारी किया है और इस शासनादेश के अनुपालन के लिए चिकित्सा विभाग भी लगातार सहयोग व समर्थन कर रहा है। 04 जनवरी, 2012 को जो शासनादेश जारी किया गया था उसके अनुपालन के लिए 02 सितम्बर, 2013 को प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने सभी अपर निदेशकों को पत्र लिखकर आदेशित किया कि वह समस्त मुख्यचिकित्साधिकारियों द्वारा इस आदेश का अनुपालन करने हेतु निर्देशित करें कि वह शासकीय निर्देशानुसार उसको परिचालित करायें जब 2 वर्षों तक इंतजार करने के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तब बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० द्वारा इस उदासीनता के बारे में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में लाया गया परिणाम स्वरूप 14 मार्च, 2016 को प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा पत्र सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित कर आदेशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश को अनुपालन करते हुए उचित कार्यवाही करें इस आदेश से पूरे प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मध्य एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ है साथ ही इस बात की भी पुष्टि हुई है कि अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, यदि हम सब चिकित्सक ममानदारी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य करें तो वह दिन दूर नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश ही वह पहला राज्य होगा जहाँ की राज्य सरकार इस चिकित्सा पद्धति के लिए मान्यता की घोषणा करेगी, यह सब बातें अब सार्थक होने का समय आ गया है लेकिन इस सार्थकता के पहले कुछ हमारे चिकित्सकों को ही निभाना पड़ेगा। अधिकार प्राप्त कर लेने से ही कुछ नहीं होता है बल्कि उन अधिकारों का प्रयोग करने से ही लाभ होता है और जब तक पूरे देश की बात है तो वहां पर स्थिति ठीक है लेकिन इसके लिए हमारी शिक्षण व्यवस्था को ठीक करना होगा। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में शिक्षा व्यवस्था चरमपा गयी है मध्यप्रदेश के कुछ निजी विश्वविद्यालयों ने तथा महाराष्ट्र में व्यवसायिक शिक्षा मण्डल में शिक्षा आने के कारण व्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है।



**मुख्य मंत्री से करेंगे बात — डा० कुशवाहा** कैबिनेट मंत्री उ०प्र०.....प्रथम पेज से आगे

करें। इलाहाबाद से पधारे डा० टी०बी० त्रिपाठी ने कहा कि हमें अधिकार तो मिल गये हैं लेकिन हम काम नहीं करते हैं काम करना चाहिये बंगलौर से पधारे डा० पी० आर० घुसिया ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा में और सुधार की आवश्यकता है हर चिकित्सक को इतना अध्ययन करना चाहिये कि उसे अपनी औषधियों का पूर्ण ज्ञान हो जाये पूर्ण ज्ञान के बिना सही औषधियों का चयन और उनका प्रयोग सम्भव नहीं होता है डा० घुसिया ने बताया कि मैंने बहुत सारे रोगियों पर औषधियों का प्रयोग किया है मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं आप भी औषधियों का प्रयोग करें और स्वयं संतुष्ट हो कहने को तो बहुत है समय की बाध्यता है वक्ता बहुत सारे हैं इसलिए बाकी बातें फिर कभी । कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुरादाबाद से पधारे डा० सुबोध सक्सेना ने कहा कि बोर्ड ने अपना काम कर दिया है अब चिकित्सकों को चाहिये कि वह अपने हिस्से का काम करें जनता की सेवा करें और इलेक्ट्रो पैथी के विकास के लिए कार्य करें। छत्तीसगढ़ से पधारे डा० रवीन्द्र कुमार वर्मा ने कहा कि आज 33 साल बाद मेरा और डा० इदरीसी का इस कार्यक्रम के माध्यम से संगमन हो रहा है यह मेरे लिए बहुत खूशी की बात है इन 33 वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत कुछ बदल चुका है जितना कुछ बदला है उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी यहां आकर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब शेष जीवन डा० इदरीसी के निर्देशन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सेवा करूंगा। छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा राज्य है जहां स्वास्थ्य की सुविधायें बहुत कम हैं ऐसे स्थानों पर जनता की सेवा कर आत्मसुख का अनुभव करूंगा। कलकत्ता से पधारे डा० ए०पी०मौर्या साहब ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कार्यक्रम की सफलता की बधाई व मविष्य की मंगलकामना की। वैसे डा० मौर्या अच्छे वक्ता हैं लेकिन शायद कार्यक्रम की सामाप्ति होने के कारण उद्बोधन का मन नहीं बना पाये। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए दिल्ली से पधारे डा० बी०एल०यादव ने पुराने दिनों की याद करते हुए कहा कि किस तरह से डा० इदरीसी ने हम सब लोगों को आन्दोलन के लिए प्रेरित करते थे और हम सब उनके बताये हुए रास्ते पर आगे बढ़ते थे। कार्यक्रम के अन्तिम वक्ता के रूप में मिदनापुर पश्चिम बंगाल से पधारे हुए डा० एस०के०विश्रवास ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अच्छे मविष्य की कामना की तथा ऐसे कार्यक्रम में उन्हें बुलाये जाने के लिए डा० इदरीसी को धन्यवाद दिया। अध्यक्षीय भाषण देते हुए डा० आर के कपूर ने कहा सब लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात की लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि डा० इदरीसी ने कितनी मेहनत के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विकास के रास्ते पर लाये है आज का दिन तो वास्तव में डा० इदरीसी को धन्यवाद देने का है मैं इस अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर डा० इदरीसी को बधाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ दीर्घायु होते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य करें। कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए डा० देवानन्द सागर ने पशु पक्षियों की बोली सुनाकर सबका मनोरंजन किया कार्यक्रम का संचालन डा० प्रमोद शंकर बाजपेयी ने तथा धन्यवाद मिथलेश कुमार मिश्रा ने किया।

कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटो देखें आगे के पेजों पर



डा०पी०एन० कुशवाहा प्राचार्य ए०ई०एच० मेडिकल इन्सटीट्यूट को मा० मंत्री जी शीलड,प्रमाण पत्र एवं प्रथम पुरस्कार की चेक भेंट करते हुये। छाया गज़ट

मुख्य मंत्री से करेंगे बात — डा० कुशवाहा कैबिनेट मंत्री उ०प्र०.....प्रथम पेज से आगे



डा० आर० के० शर्मा प्राचार्य माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट को मा० मंत्री जी शील्ड, प्रमाण पत्र एवं द्वितीय पुरस्कार की चेक भेंट करते हुये। छाया गज़ट



डा० मुशताक अहमद प्राचार्य चाँद पार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट को मा० मंत्री जी शील्ड, प्रमाण पत्र एवं प्रथम पुरस्कार की चेक भेंट करते हुये। छाया गज़ट

नोट:- कार्यक्रम के अनेक चित्र गज़ट के कैमरा मैन ने बड़ी मेहनत के साथ खंचे हैं हम सारे चित्रों को तो नहीं लगा सकते हं परन्तु प्रमुख चित्रों को वरीयता के साथ लगाये हैं

सम्पादक

### 42वें स्थापना दिवस के प्रमुख चित्र



डा० पमोद शंकर बाजपेई को स्वामी विवेका नन्द की शील्ड, प्रमाणपत्र, शॉल एवं नकद 11000 रुपये का चेक प्रदान करते मा० मन्त्री डा० राम आसरे कुशवाहा। छाया गज़ट



# 42वें स्थापना दिवस के प्रमुख चित्र



42 वे स्थापना दिवस पर डा० रमेश दीक्षित मंच से सम्बोधित करते हुये। छाया गज़ट



## 42वें स्थापना दिवस के प्रमुख चित्र





# 42वें स्थापना दिवस के प्रमुख चित्र



## 42वें स्थापना दिवस के प्रमुख चित्र



पश्चिम बंगल से 42 स्थापना दिवस पर आये हुये डा० ए० पी० मौर्या मंच से अपने बहुमूल्य विचारों का साझा करते हुये।

डा० एस० के० विशवास पश्चिम बंगल से ही एक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक योधा 42 स्थापना दिवस पर अपने विचार प्रकट करते हुये। सभी छायांकन गज़ट